

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिवाना (बाड़मेर)

क्रमांक: वाचक/2021/6616

दिनांक : 27.09.2021

प्रार्थी

बनाम

विप्रार्थीगण

दीपसिंह

छैलसिंह वगैरह

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम


राजस्व आवेदन सं....70/21


दिनांक :- 13.09.2021

—: आदेश :-

उपरोक्त प्रकरण में राजस्व ग्राम मांगी पटवार मण्डल धीरा तहसील सिवाना के खेत खसरा नम्बर 321/76 ता 325/76 की सम्पूर्ण भूमि का नाप पैमाईश कर खेत खसरा संख्या 324/76 रकबा 01.7136 हैक्टर भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार, सिवाना को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फीस रूपये 1000/- प्रार्थी अदा करेगा।

उपरोक्तानुसार नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावें। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस ईमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।




उपखण्ड अधिकारी,
सिवाना (बाड़मेर)

क्रमांक: वाचक/2021/6617-20

प्रतिलिपि :

दिनांक : 27.09.2021

- 1/ तहसीलदार सिवाना
2. थानाधिकारी सिवाना
3. हल्का पटवारी भागवा को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी कार्यवाही पूर्ण कराने हेतु।
4. रूपसिंह पुत्र गजेसिंह राजपूत निवासी भागवा तहसील सिवाना जिला बाड़मेर





उपखण्ड अधिकारी,
सिवाना (बाड़मेर)